राजस्थान में निर्माणाधीन पर्यावरणीय परियोजनाएं"

774. **श्री संतोष बागडोदिया** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन राजस्थान में इस समय कितने निर्माण कार्य/परियोजनायें निर्माणाधीन है ;

(ख) प्रत्येक निर्माण कार्य/परियोजना की लागत कितनी होगी और इनके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) आगामी वर्षों के दौरान आरम्भ किये जाने वाले नये निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

नागर विमान और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज पाटिल) (क) से (ग) सूचना सभा पटल पर प्रस्तुत की जाती है । [देखिये : परिशिष्ट CXLVII--, अनुपत्र सं० 37]

दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियां

775. **श्री संतोष बागडोदिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के वे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहां आतंकवादियों के सक्रिय होने की आशंका है ; और

(ख) दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकवादियों की क्रमशः संख्या कितनी है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में बैंक लॉकरों से जेवरात आदि का गायब होना

776. **श्री संतोष बागडोदिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दिल्ली तथा अन्य महानगरों में राष्ट्रीयकृत बैंकों के लॉकरों से जेवरात तथा अन्य कीमती सामान आदि के गायब होने के कितने मामले हुए हैं ;

(ख) क्या कुछ मामलों में बैंक कर्मचारियों को दोषी पाया गया है, यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) क्या बैंक द्वारा लॉकर मालिकों को उनके गायब हुए सामान की कोई क्षतिपूर्ति की गई है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभागमें राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार तीन वर्षों के दौरान दिल्ली तथा अन्य महानगरों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लॉकरों से जेवरात तथा अन्य कीमती वस्तुएं आदि के गुम हो जाने के 14 मामले सूचित किए गए हैं बैंकों ने आगे बताया है कि इन मामलों में उनका कोई भी कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया है ।

(ग) बैंकों ने सूचित किया है कि लॉकरों के पट्टाधारियों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया क्योंकि ये घटनाएं सामान्यतया इन पटटाधारियों की लापरवाही के कारण ही घटी हैं । इसके अतिरिक्त, लॉकरों की वस्तुएं गप्त होता हैं और उनकी जानकारी बैंकों के पास नहीं होती ।